

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय- सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्थापित विभागान्तर्गत सात (7) पोलिटेकनिक संस्थानों (मधेपुरा/मुंगेर/समस्तीपुर/सीवान/अररिया/ नवादा /किशनगंज), जिनका भवन हस्तान्तरित है, के लिए प्रथम चरण में आवश्यक उपस्करों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 3,86,24,700=00 (तीन करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागीय आदेश संख्या- 580, दिनांक 14.02.2020 के माध्यम से गठित समिति के अध्यक्ष प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर के पत्रांक-284, दिनांक 15.03.2020 द्वारा की गई मांग के आलोक में सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्थापित विभागान्तर्गत सात (7) पोलिटेकनिक संस्थानों (मधेपुरा/मुंगेर/समस्तीपुर/सीवान/अररिया/ नवादा /किशनगंज), जिनका भवन हस्तान्तरित है, के लिए प्रथम चरण में आवश्यक उपस्करों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू. 3,86,24,700=00 (तीन करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त राशि राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष-4202 -शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष -02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0109- पोलिटेकनिक (निश्चय)" के अधीन 52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसका विपत्र कोड 43-4202021040109 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर होंगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, मुंगेर से की जायेगी।

5. बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली-2005 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उक्त राशि से सामग्रियों का क्रय GEM के माध्यम से किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से, समिति के अध्यक्ष तथा संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के संयुक्त अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही, आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा। संबंधित संस्थान, प्राप्त सामग्रियों को भंडार पंजी में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 49/ 2019 - /पटना, दिनांक-
 प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग,
 बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
 सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 49/ 2019 - /पटना, दिनांक-
 प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
 सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 49/ 2019 - /पटना, दिनांक-
 प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर/मधेपुरा/मुंगेर/समस्तीपुर/सीवान/अररिया/
 नवादा /किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
 सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि.प्रा. (IV) योजना- 49/ 2019 - 1117 /पटना, दिनांक- 20/3/2020
 प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/
 निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि.)/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं
 विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
 कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -
 सरकार के उप सचिव